

N/C

संख्या-677/15-7-06-16(13)/2006

प्रेषक,

अजीत प्रकाश,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदायकेंद्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या: दिनांक:

08 मार्च

दिसंबर, 2006

विषय :- नवर सैन्ड पब्लिक रामपुर बनिहारन, सहरनपुर को सी० बी० एस० नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

प्रति,
सर्वोपर्य,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निवेदन हुआ है कि उक्त संबंधित विद्यालय को सी०बी०एस० नईदिल्ली से संबन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबन्धता सेट्टल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से संबन्धता प्राप्त होने की तिथि से उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जानेगी और उन्हें सहायक प्राप्त असाहाय्य उत्तराखण्ड राज्य विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूची सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्वत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिजर्व्ड नियुक्ति प्रथम पत्रिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त शर्तियों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पता चला है कि संस्था द्वारा उक्त शर्तियों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव अनायास प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अनीता प्रकाश)
उप सचिव।

संख्या- 677(1)/15-7-2006 तद्विनाश

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मन्त्रालय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहरनपुर ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, सहरनपुर ।
- 4- निरीक्षक, आंध्र भारतीय विद्यालय उपाध्य, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, महर लैन्ड पब्लिक रामपुर मण्डल, सहरनपुर ।
- 6- फाईल नुक ।

आज्ञा है,

(अनीता प्रकाश)
उप सचिव।